

श्रीमती फादेली जतिन श्री नारायण निवासी 108, तुलसी नदी के समाने, अलवर।
 की शेरविहारी पुत्र श्री पद्मनाभ निवासी धाम पीलावा उप तहसील बहादुरपुर, अलवर।
 की शेरवा की पुत्र श्री साहाब निवासी तुलसी, अलवर।

विषय :- खसरा नंबर 1388, 3484/483, 3485/483, 3486/483, 3487/483, 3488/1389, 3489/1389, 3490/1389, 3491/1389 धाम तुलसीका लसठ व चिला अलवर की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ जे-आउट प्लान स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्वयित लेख है कि 30क आदेश दिनांक 20.01.2025 के अनुसार धाम तुलसी के खसरा नंबर 1388, 3484/483, 3485/483, 3486/483, 3487/483, 3488/1389, 3489/1389, 3490/1389, 3491/1389 लसठ व चिला अलवर की भूमि का आवासीय जे-आउट प्लान स्वीकृति हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में जे-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 24.03.2025 के निर्णयानुसार जारी मागपत्र दिनांक 24.04.2025 के अनुसार बांधू विकास शुल्क 15,79,000/-+90 लसठ EWS/LIG भूखण्डों के सहा विकास योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर राशि 60,22,723/-+90 कुल राशि 66,01,723/-+90 जहाँ परतीर सख्ता 3387/34 दिनांक 02.05.2025 के द्वारा मांग विकास न्यास, अलवर के जहाँ में जमा करत दिहे गये है। अतः जे-आउट प्लान निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :-

01. आवासीय परियोजना क्षेत्र के सहा जे भूखर श्री जोगन इन्टरलोकैट प्लान की 18.0 मीटर एव 24.0 मीटर चौड़ी सड़कों हेतु योजना क्षेत्र का भाग समर्पित करवाये जाने की उपरान्त प्राप्त हो रही योजना क्षेत्र 13109 वर्ग मी. में जे-आउट प्लान में दर्शात उपयोगी से सम्बन्धित सेवा की जे-आउट प्लान में दर्शाते अनुसार ही उपयोग में लिया जाना होगा।
02. आन्तरिक विकास के सहा एवढे गये विकास योग्य 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल को समतुल्य अथवा अधिक में आवासीय भूखण्ड 90 S, B, 41 व 42 क्षेत्रफल 888.89 वर्ग मी तथा वास्तुसामिक भूखण्ड 90 सी-1 व सी-2 क्षेत्रफल 302.45 वर्ग मी तथा क्षेत्रफल 1071.34 वर्गमीटर को तब तक आवेदक द्वारा विकसत नहीं किया जावेगा, जब तक की विकास कार्य पूर्ण नहीं हो जावेगा एव विकास कार्य पूर्ण होने की उपरान्त सेवा पर सम्पादन होने के पश्चात उक्त भूखण्डों को प्लान मुक्त किया जावेगा एव प्रस्तुत सख्ता पत्र दिनांक 30.04.2025 में अंकित शर्तों की पालना करनी होगी।
03. आन्तरिक विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा किया जावेगा एव दिनांक 30.04.2025 की प्रस्तुत अपडेटेडिंग की पालना करनी होगी।
04. राज्य सरकार/न्यास द्वारा देय राशि की भाग की जाती है तो जमा करनी होगी।
05. नियमानुसार भूखण्डों के परटेरे प्राप्त कर भयन निर्धारित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
06. स्वीकृत जे-आउट प्लान के अनुसार EWS/LIG भूखण्ड का विकास बिना न्यास की स्वीकृति के नहीं किया जावेगा।
07. जे-आउट प्लान में दर्शाते गये भूखण्ड क्षेत्र की भूमि को उपरान्त द्वारा विकास नहीं किया जावेगा।
08. एकिकृत भयन विनियम-2020 व सांजसकिय विनियमों की शर्तों की पालना विकासकर्ता द्वारा पूर्ण करनी होगी।
09. समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिहे गये निर्देशों की पालना करनी होगी।
10. स्वीकृत योजना का REBA में संजीकरण करतना आवश्यक होगा।
11. सांजसकिय विनियमों के अनुसार सडक, बिजली, स्ट्रीट लाईट, पानी, सीवेज एव ड्रेनेज, फायरफेज, डैम वाटर सर्विडिंग व वाटर प्रिवाइकलिंग आदि का नियमानुसार प्रावधान करतना होगा।
12. सेक्टर प्लान/जोनाल इन्टरलोकैट इन्वले समय स्वीकृत जे-आउट प्लान के क्षेत्र को जोनाल प्लान में सम्पादनित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

सहायक नगर विकास न्यास अलवर
 नगर विकास न्यास अलवर

कमालक:
 प्रतिनिधि :- आवेदक कार्यालयी एव बाबत सुसम्बन्धी
 01. प्रभाती अधिकारी नियन्त्रण, न्यास, अलवर।
 02. अधिकारी अभियन्ता, न्यास, अलवर।

For Ansal Construction Private Limited

Director/Authorized Signatory

For Ansal Construction Private Limited

Director/Authorized Signatory

प्राप्त
 श्रीमती साहाब

श्रीमती साहाब